



सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

सुशील कुमार,  
राज्य निर्वाचन आयुक्त,

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/  
जिला निर्वाचन अधिकारी(ना0नि0)  
उत्तराखण्ड।

संख्या:- 1388 / रा0नि0आ0-3 / 2763 / 2019 दिनांक: 25 नवम्बर, 2024

विषय:-नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-928/रा0नि0आ0-3/1258/2011 दिनांक 31.01.2018 को अवक्रमित करते हुए आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के संबंध में नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि एवं व्यय की अधिकतम सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र० सं०	पदनाम/ उम्मीदवार	नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य		जमानत की धनराशि		निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा (रु०)
		सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रु०)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रु०)	सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रु०)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर प्रमुख, नगर निगम	800	400	12,000	6,000	20,00,000 (40 वार्ड तक) 25,00,000 (41 से 60 वार्ड तक) 30,00,000 (61 वार्ड एवं इससे अधिक)
2	उप नगर प्रमुख, नगर निगम	400	200	5,000	2,500	2,00,000

क्रमश.....2

3	सभासद, नगर निगम	400	200	4,000	2,000	3,00,000
4	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद	500	250	6,000	3,000	6,00,000 (10 वार्ड तक) 8,00,000 (10 वार्ड से अधिक)
5	सदस्य, नगर पालिका परिषद	200	100	1,500	750	80,000
6	अध्यक्ष, नगर पंचायत	200	100	3,000	1,500	3,00,000
7	सदस्य, नगर पंचायत	100	50	600	300	50,000

भवदीय,  
K.M.L.


(सुशील कुमार)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 1388 / रा0नि0आ0-3 / 2763 / 2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमौऊ मण्डल, नैनीताल एवं गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
5. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), उत्तराखण्ड।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को भी प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
12. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
13. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
14. समस्त अधिकारी/अनुभाग राज्य निर्वाचन आयोग।
15. आयोग के सूचना पट्ट पर रखने हेतु।
16. गार्ड फाईल।



आज्ञा से

(राहुल कुमार गोयल)  
सचिव।